भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3731
18.12.2024 को उत्तर देने के लिए

सांख्यिकीय प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण

3731. श्री योगेन्द्र चांदोलियाः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सांख्यिकीय प्रणालियों को सुदृढ़ करने संबंधी सहायता बढ़ाने हेतु पहल की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) और (ख) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकीय क्षमता और विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और प्रसारण के लिए चलाए गए राज्य सांख्यिकीय प्रणाली के संचालनों को बेहतर बनाने हेतु वर्तमान में जारी केंद्रीय क्षेत्र की सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता की उप-योजना (एसएसएस) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता जारी करता है। एसएसएस उप-योजना के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विभिन्न कार्यकलाप, जैसे स्थानीय स्तर के आंकड़ों का संकलन, एकीकृत राज्य डेटाबेस का निर्माण, डेटा अंतराल को दूर करने के लिए अध्ययन और सर्वेक्षण, राज्य/उप-राज्य स्तर पर मुख्य संकेतकों का संकलन, कार्यशालाएँ, सांख्यिकीय कर्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सांख्यिकी के लिए जागरूकता अभियान, आईटी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना आदि संचालित करते हैं। अब तक 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपरोक्त कार्यकलापों को शुरू करने के लिए 346.66 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 322 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 14 राज्यों अर्थात गुजरात, राजस्थान, कर्णाटक, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, झारखंड और बिहार ने उन कार्यकलापों का कार्यान्वयन पूर्ण किया है जिनके लिए निधि जारी की गई थी।

इसके अतिरिक्त, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय विभिन्न अनुमानों की संकलन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी साझा करके और तकनीकी सहायता प्रदान करके नियमित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण/कार्यशालाओं एवं अन्य परस्पर क्रियात्मक पद्धतियों के माध्यम से सांख्यिकीय कार्मिकों के क्षमता निर्माण करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान करता है।

*****